

## आदेश

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, इकाई-सकौती टांडा जनपद मेरठ परिक्षेत्र मेरठ की पेराई सत्र 2009-10 हेतु प्रस्तुत मांग पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-1244/सी/क्रय/ग0आ0/ 2009-10 दिनांक 16-9-2009 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक परीक्षणोपरान्त, विज्ञप्ति संख्या-1245/सी क्रय/ग0आ0 2009-10 दिनांक 16-09-2009 द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-12(2) के अन्तर्गत गन्ने की आवश्यकता का अनुमान 17.89 ला0कु0 विज्ञापित किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "आवश्यकता का निर्धारण उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15 के अन्तर्गत उददेश्य की पूर्ति हेतु चीनी मिल क्षेत्रवार हुए गन्ना उत्पादन/उपलब्धता से आच्छादित रहेगा"।

गत वर्ष उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, इकाई-सकौती टांडा जनपद मेरठ परिक्षेत्र मेरठ ने दिनांक 18-11-2008 को पेराई कार्य प्रारम्भ कर दिनांक 02-03-2009 को पेराई सत्र का समापन किया। इस प्रकार चीनी मिल ने 105 कार्य दिवसों में अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध 45.77 ला0कु0 गन्ना उत्पादन में से लगभग 33.23 प्रतिशत झाल करते हुए 15.21 ला0कु0 गन्ने की पेराई की।

कृषकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने एवं गन्ने की अधिक से अधिक खपत चीनी उत्पादन में करने हेतु यह अनिवार्य है कि चीनी मिलें अपने आबंटित क्षेत्र से अधिकतम गन्ने की खरीद/पेराई करें एवं ऐसी प्रबन्धकीय एवं तकनीकी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें, जिससे गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता में पर्याप्त सामंजस्य बना रहे।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15 के प्राविधानों के अनुपालन में दिनांक 08-09-2009 को गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ में मेरठ परिक्षेत्र की सहकारी गन्ना विकास समितियों, गन्ना कृषकों एवं चीनी मिलों का पक्ष पेराई सत्र 2009-10 में गन्ना क्षेत्र आबंटन एवं गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में सुनवाई की गई।

विगत वर्षों में चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान में विलम्ब तथा गन्ना विकास कार्यों में अरुचि के कारण गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष गन्ना क्षेत्रफल में गिरावट आई है। इस चीनी मिल की गत वर्ष सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ना उत्पादन में 12 प्रतिशत कमी होना सम्भावित है।

चीनी मिल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, यातायात की सुविधा, गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति, गन्ना समितियों/कृषकों द्वारा दिये गये प्रस्ताव, गत वर्ष आबंटित क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल तथा क्षेत्र में गन्ना व्यावर्तन की स्थिति आदि कारकों पर विचार किया गया। चीनी मिल क्षेत्र

में गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता को देखते हुए इस चीनी मिल को अधिकतम 40.27 लाख क्वी गन्ना उत्पादन का आबंटन किया जा सकता है।

इस चीनी मिल के जनपद-मेरठ में गन्ने की औसत उपज 635.04 क्वी प्रति हेक्टेयर है, जो कि पेराई सत्र 2008-09 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराये गये कॉप कटिंग के परिणामों पर आधारित है तथा सभी सम्बन्धित को इस कार्यालय के पत्र संख्या-950/सी/कय/ग0आ0 दिनांक 12-06-2009 द्वारा संसूचित की गई है, जिसके आधार पर 40.27 लाख क्वी गन्ना उत्पादन की प्रतिपूर्ति कुल 6341 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल से होना सम्भावित है।

अतः सम्बन्धित चीनी मिलों, गन्ना समितियों/गन्ना कृषकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पक्ष सुनने, चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन/उपलब्धता एवं अन्य सुसंगत बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं, सुधीर एम.बोबडे, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15, उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली-1954 के नियम-22 एवं शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर-1966 की उपधारा-6 (1)(ए) के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए समस्त पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुए संलग्न तालिका के खण्ड-1(क) में अंकित कयकेन्द्रों को गन्ना पूर्ति हेतु पेराई सत्र 2009-10 के लिए उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, इकाई-सकौती टांडा जनपद मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को सुरक्षित करता हूँ तथा खण्ड-2 में इंगित कयकेन्द्र को उनके नाम के सम्मुख अंकित निकटवर्ती चीनी मिल, दौराला, खतौली, बुढाना एवं मवाना को अभ्यर्पित करता हूँ तथा आबंटी चीनी मिलों के अध्यासियों को आदेशित करता हूँ कि गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश-1954 के उपबन्ध-3(3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप-स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से करें तथा चीनी मिल चलने के साथ ही समस्त कयकेन्द्रों का संचालन एवं समानुपातिक गन्ना खरीद सुनिश्चित करें।

उक्त चीनी मिल के अध्यासी को उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देशित करता हूँ कि गन्ना पेराई सत्र समापन के लिए अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियों, जिला गन्ना अधिकारियों तथा क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त से प्राप्त कर इस कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही पेराई सत्र का समापन करें।

उपर्युक्त आदेश पेराई सत्र 2009-10 के लिए जारी किये जा रहे हैं। यह तब तक वैध रहेंगे, जब तक इस सम्बन्ध में नये आदेश या संशोधन प्रसारित न किये जायें।

( सुधीर एम. बोबडे )

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

## टिप्पणी

- 1— इस वर्ष जिन नये ऋयकेन्द्रों की स्थापना के आदेश दिये जा रहे हैं, उन ऋयकेन्द्रों के स्थान का चयन सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा गन्ना किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, चीनी मिल एवं गन्ना समितियों की राय से किया जायेगा तथा ऋयकेन्द्रों से सम्बद्ध होने वाले ग्रामों की सूची भी बनाकर सर्व सम्बन्धित को सूचित करेंगे। जिला गन्ना अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि एक कृषक के गन्ने की आपूर्ति एक ऋयकेन्द्र पर अथवा केन्द्र के एक ही भाग पर सुनिश्चित कराई जाये, एक से अधिक ऋयकेन्द्र/केन्द्र के भाग पर आपूर्ति की सुविधा न दी जाये।
- 2— चीनी मिलों एवं गन्ना समितियों तथा किसानों की ओर से कुछ ऋयकेन्द्रों के स्थान परिवर्तन करके उसी राजस्व ग्राम से दूसरे स्थान पर लगाने तथा कुछ ऋयकेन्द्रों के ग्रामों को उसी चीनी मिल के पूर्ववर्ती ऋयकेन्द्रों से हटाकर दूसरे ऋयकेन्द्रों पर सम्बद्ध किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए/होते हैं। ऐसे प्राप्त प्रस्तावों पर जिला गन्ना अधिकारी सम्बन्धित चीनी मिल एवं गन्ना समिति की राय प्राप्त कर अपनी संस्तुति इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित करेंगे।
- 3— यदि पेराई सत्र 2009-10 में चीनी मिल द्वारा सन्तोषजनक मात्रा में पेराई न कर पाने के कारण या चीनी मिल बन्द हो जाने के कारण गन्ने का व्यावर्तन किया जाना अपरिहार्य प्रतीत होता है, तो व्यावर्तित गन्ने की ढुलाई व्यय उसी चीनी मिल को देना होगा, जिसे ऋयकेन्द्र मूलरूप में आबंटित हुआ था।
- 4— गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश-1954 के उपबन्ध-3(3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप-स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से किया जायेगा, जो चीनी मिलें निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करेंगे उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 5— चीनी मिलों द्वारा उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-17 एवं 18 तथा उ0प्र0 शुगर केन कन्ट्रोल ऑर्डर-1966 के खण्ड-3(3) में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत निर्धारित अविध में गन्ना मूल्य एवं विकास कमीशन का भुगतान सुनिश्चित करें। अन्यथा बाध्य होकर चीनी मिलों को आबंटित गन्ना क्षेत्र को व्यावर्तित करने पर विचार किया जायेगा।

( सुधीर एम. बोबडे )

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

पत्रांक 20 /सी/कय-सुर0/2009-10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 02 , 2009  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
- 2- सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को इस आशय से प्रेषित कि वह उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली-1954 के नियम-23 के अनुसार उक्त आदेशों को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 3- निदेशक, बांट एवं माप, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश सर्व सम्बन्धित को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 5- सम्बन्धित उप चीनी आयुक्त।
- 6- सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कयकेन्द्रों के चलने की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त को चीनी मिल चलने के 15 दिनों के अर्न्तगत अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायें।
- 7- सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्तों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कयकेन्द्रों के चलने की स्थिति पर स्वयं भी निगरानी रखेंगे तथा यथा निर्दिष्ट समय के अर्न्तगत कयकेन्द्र न चलाये जाने पर चीनी मिल के विरुद्ध समुचित कार्यवाही कराते हुए, अनुपालन की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।
- 8- सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियाँ।
- 9- अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, सम्बन्धित चीनी मिलें।

( डा0 कृपाल सिंह )  
उप गन्ना आयुक्त (कय)  
कृते गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

सुरक्षण आदेश संख्या 20 /सी/क्रय-सुर0/ दिनांक नवम्बर 02 ,2009 (पृष्ठ संख्या-1)

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, इकाई-सकौती टांडा जनपद मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।

खण्ड - 1 (क) पेराई सत्र 2009-10

क्र0 सं0	समिति का नाम	क्रय केन्द्र	चीनी मिल से दूरी (किमी)	गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	गन्ना उत्पादन (ला0कु0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सकौतीटांडा	मिलद्वार	0	5133	32.60	सुरक्षित	
2		ज्वालागढ़-प्रथम	12	116	0.74	सुरक्षित	
3		ज्वालागढ़-द्वितीय / दौलतपुर	12	253	1.61	सुरक्षित	
4		भामौरी-प्रथम	18	78	0.50	सुरक्षित	
5		राजपुर मोमन	22	221	1.40	सुरक्षित	
6		सलावा-प्रथम	10	436	2.77	सुरक्षित	
7		कुशावली-प्रथम	16	104	0.66	सुरक्षित	
		योग		6341	40.27		

खण्ड - 2 पेराई सत्र 2009-10

क्र0 सं0	समिति का नाम	क्रय केन्द्र	चीनी मिल से दूरी (किमी)	गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	गन्ना उत्पादन (ला0कु0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सकौतीटांडा	निहोरी-प्रथम	13	170	1 <sup>०</sup> 08	सुरक्षित	दौराला मिल को
2		निहोरी-द्वितीय	12	169	1 <sup>०</sup> 07	सुरक्षित	दौराला मिल को
3		गड़ीना-प्रथम	19	231	1 <sup>०</sup> 47	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
4		चरला प्रथम	19	87	0 <sup>०</sup> 55	अभ्यर्पित	दौराला मिल को

5	कुशावली-द्वितीय	12	104	0.66	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
6	रार्धना द्वितीय	24	130	0.83	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
7	भमौरी द्वितीय	14	77	0.49	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
8	खेडा-द्वितीय	27	111	0.70	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
9	रार्धना-प्रथम	24	129	0.82	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
10	कढली	13	127	0.81	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
	<b>योग</b>		<b>2765</b>	<b>17.56</b>		

सुरक्षण आदेश संख्या 20 /सी/क्रय-सुर0 / दिनांक नवम्बर 02 ,2009 (पृष्ठ संख्या-1)

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, इकाई-सकौती टांडा जनपद मेरठ परिक्षेत्र मेरठ ।

**खण्ड - 2 पेराई सत्र 2009-10**

क्र० सं०	समिति का नाम	क्रय केन्द्र	चीनी मिल से दूरी (कि०मी०)	गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	गन्ना उत्पादन (ला०कु०)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
11	सकौतीटांडा	बातनौर प्रथम	25	127	0.81	अभ्यर्पित	दौराला मिल को
12		भनवाडा	20	299	1.90	अभ्यर्पित	खतौली मिल को
13		सलावा द्वितीय	18	435	2.76	अभ्यर्पित	खतौली मिल को
14		मुजाहिदपुर	20	288	1.83	अभ्यर्पित	खतौली मिल को
15		आंखेपुर	18	281	1.78	अभ्यर्पित	खतौली मिल को
16		रार्धना-तृतीय	24	129	0.82	अभ्यर्पित	खतौली मिल को
17		कुशावली-तृतीय	30	104	0.66	अभ्यर्पित	खतौली मिल को
18		रार्धना-चतुर्थ	24	130	0.83	अभ्यर्पित	खतौली

							मिल को
19		खेड़ा-तृतीय	24	113	0.72	अभ्यर्पित	खतौली मिल को
20		अकलपुरा	25	77	0.49	अभ्यर्पित	खतौली मिल को
21		भमौरी-तृतीय	26	77	0.49	अभ्यर्पित	खतौली मिल को
22		खेड़ा-प्रथम	21	112	0.71	अभ्यर्पित	खतौली मिल को
23		चांदसमद (ग्राम)	26			अभ्यर्पित	खतौली मिल गेट पर
24		टिटौडा (ग्राम)	10			अभ्यर्पित	खतौली मिल गेट पर
25		भायंगी (ग्राम)	12			अभ्यर्पित	खतौली मिल गेट पर
26		भंगेला (ग्राम)	11			अभ्यर्पित	खतौली मिल गेट पर
27		रुकनपुर (ग्राम)	12			अभ्यर्पित	खतौली मिल गेट पर
28		खेडी (ग्राम)	9	1120	7.11	अभ्यर्पित	खतौली मिल गेट पर
29		लोडया (ग्राम)	8			अभ्यर्पित	दौराला मिल गेट पर
30		कनौडा (ग्राम)	7			अभ्यर्पित	दौराला मिल गेट पर
31		सरसवां (ग्राम)	6			अभ्यर्पित	दौराला मिल गेट पर
32		बंशीपुरा (ग्राम)	5	681	4.32	अभ्यर्पित	दौराला मिल गेट पर

33		सफीपुर बवाना	8	356	2.26	अभ्यर्पित	बुढाना मिल गेट पर
34		मन्दवाडी (नया)	16	127	0.80	अभ्यर्पित	मवाना मिल को
35		बातनौर द्वितीय	18	128	0.81	अभ्यर्पित	मवाना मिल को
36		चरला-द्वितीय	22	86	0.55	अभ्यर्पित	मवाना मिल को
37		गडीना-द्वितीय	12	234	1.49	अभ्यर्पित	मवाना मिल को
		<b>योग</b>		<b>3474</b>	<b>22.06</b>		
		<b>महायोग</b>		<b>6239</b>	<b>39.62</b>		

सुरक्षण आदेश संख्या 20 /सी/क्रय-सुर0/ दिनांक नवम्बर 02 ,2009 (पृष्ठ संख्या-1)

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, इकाई-मोहिउद्दीनपुर जनपद मेरठ परिक्षेत्र मेरठ ।

खण्ड - 1 (क) पेराई सत्र 2009-10

क्रम संख्या	समिति का नाम	क्रय केन्द्र	चीनी मिल से दूरी (कि०मी०)	गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	गन्ना उत्पादन (ला०कु०)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मौहिउद्दीनपुर	मिलद्वार	0	4451	28.27	सुरक्षित	
2		सीपुरा	9	304	1.93	सुरक्षित	
3		धन्तला	11	251	1.59	सुरक्षित	
4		चन्दपुरा प्रथम	12	101	0.64	सुरक्षित	
5		बहरानपुर	18	66	0.42	सुरक्षित	
6		मुरादाबाद	8	169	1.07	सुरक्षित	
7		कलंजरी	8	356	2.26	सुरक्षित	
8		महरौली	7	217	1.38	सुरक्षित	
9		खंदावली प्रथम	16	170	1.08	सुरक्षित	
10		खानपुर प्रथम	14	106	0.68	सुरक्षित	

11		चन्दसारा	13	218	1.38	सुरक्षित	
12		सिवालखास द्वितीय	12	155	0.98	सुरक्षित	
13		गगोल प्रथम	10	156	0.99	सुरक्षित	
14		तलहैटा-प्रथम	10	202	1.28	सुरक्षित	
15		पांची-द्वितीय	20	77	0.49	सुरक्षित	
16		सेतकुआ-नालपुर प्रथम	16	32	0.20	सुरक्षित	
		योग		7031	44.66		

सुरक्षण आदेश संख्या 20 /सी/क्रय-सुर0 / दिनांक नवम्बर 02 ,2009 (पृष्ठ संख्या-1)

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, इकाई-मोहिउद्दीनपुर जनपद मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।

खण्ड-2 पेराई सत्र 2009-10

क्रम संख्या	समिति का नाम	क्रय केन्द्र	चीनी मिल से दूरी (कि०मी०)	गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	गन्ना उत्पादन (ला०कु०)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मौहिउद्दीनपुर	तलहैटा-द्वितीय	12	204	1.30	अभ्यर्पित	मोदीनगर मिल को
2		तलहैटा तृतीय(नया)	16	102	0.65	अभ्यर्पित	नगलामल मिल को
3		अतराडा-प्रथम	11	90	0.57	अभ्यर्पित	नगला मल मिल को
4		बवनपुरा	18	56	0.36	अभ्यर्पित	नगला मल मिल को
5		पांची-प्रथम	19	77	0.49	अभ्यर्पित	नगला मल मिल

							को
6		सेतकुआं नालपुर द्वितीय(नया)	17	125	0.80	अम्यर्पित	नगला मल मिल को
7		नालपुर	16	97	0.62	अम्यर्पित	नगला मल मिल को
8		खंदावली द्वितीय	14	115	0.73	अम्यर्पित	नगला मल मिल को
9		चन्दपुरा द्वितीय	18	102	0.65	अम्यर्पित	नगला मल मिल को
10		खानपुर द्वितीय(नया)	12	106	0.67	अम्यर्पित	नगला मल मिल को
11		अतराडा-द्वितीय	34	90	0.57	अम्यर्पित	सिम्भावली मिल को
12		अतराडा-तृतीय	34	91	0.58	अम्यर्पित	सिम्भावली मिल को
13	मो०पुर	गंगोल द्वितीय (नया)	22	155	0.98	अभ्यर्पित	नंगला मिल को
14	मो०पुर	सिवाल खास द्वितीय	29	97	0.62	अभ्यर्पित	नंगला मिल को
		<b>योग</b>		<b>1507</b>	<b>9.58</b>		